

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-44/2021

इस कार्यालय कठ पत्रांक-का०/283/3/Mech./IRMT/Gr.C/SEE दिनांक-07.12.2020 एवं महाप्रबंधक/का०/गोरखपुर/पूर्वतर रेल का पत्रांक-का०/283/12/पा०स्था०/संतोष-संजय/नवम/लूज दिनांक-18.11.2020 द्वारा श्री संजय कुमार गुप्ता, अवर लिपिक यांत्रिक /सोनपुर (कार्यरत ADRM-I सेल) एवं श्री संतोष कुमार, अवर लिपिक, डीजल शेड /गोंडा / पूर्वतर रेल के बीच अवर लिपिक जीपी-1900 लेवल-2 में अंतर रेल पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों रेल की सहमति प्राप्त है। अतः रेल परिषद् के पत्र सं० ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.2018 के आलोक श्री संजय कुमार गुप्ता, अवर लिपिक यांत्रिक /सोनपुर (कार्यरत ADRM-I सेल) को पारस्परिक स्थानांतरण पर महाप्रबंधक/का०/गोरखपुर/पूर्वतर रेल विरमित किया जाना है।

कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित करें:-

- (I) विरमन के समय कर्मचारी DAR/SPE/Vig केश से मुक्त हो।
- (II) नियमानुसार दोनों कर्मचारीयों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/ स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- (III) नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
- (IV) वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(बिजय इंजीनियर)

सकाधि-III

कृते मंरेप्र (का०)/सोनपुर

दिनांक:-25.01.2021

सं०:- का/283/अरे०अम०/स्थानांतरण/यांत्रिक/समाडी/सोन

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.महाप्रबंधक/का०/गोरखपुर, पूर्वतर रेल

02.अमरेप्र-1 महोदय सोनपुर के गोपनीय सहायक- अमरेप्र-1 महोदय को सादर सूचनार्थ

03.वमयाई/समाडी/सोनपुर, 04.सम्बंधित कर्मचारी

कृते मंरेप्र (का०)/सोनपुर